ऑन लाईन नं.RCMS2023/49

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 32/2023

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकाारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री गैजा सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह —खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक—
   मै0 रामगढ़िया फलोर मिल, 775 गली नम्बर 03 करणपुर रोड़, पुरानी आबादी जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय **दिनांक : 06.04.2023**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 18.08.2011 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः—एफएसएसए/2020/830 दिनांक 26.10.2020 एवं क्षेत्राधिकार अधिसूचना 11.04.2012 अनुसार प्रकाशित के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.02.2022 को बाद 1.00 बजे का **मै0** रामगढ़िया फलोर मिल, 775 गली नम्बर 03 करणपुर रोड़, पुरानी आबादी जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता गैजा सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे **आटा (शाही भोग 1482 चक्की फ्रेश आटा ब्राण्ड)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान के अन्दर 5—5 किलोग्राम के 31 कट्टे **आटा (शाही भोग 1482 चक्की फ्रेश आटा ब्राण्ड)** को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। मुझे इसी **आटा (शाही भोग 1482 चक्की फ्रेश आटा ब्राण्ड)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **आटा (शाही भोग 1482 चक्की फ्रेश आटा ब्राण्ड)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **आटा (शाही भोग 1482 चक्की फ्रेश आटा ब्राण्ड)** 2 किलोग्राम विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **आटा (शाही भोग 1482 चक्की फ्रेश आटा ब्राण्ड)** का नगद भुगतान 48/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे गैजा सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक गैजा सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **आटा (शाही भोग 1482 चक्की फ्रेश आटा ब्राण्ड)** की 4 बराबर–बराबर भागों में बांट कर लैबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व क्रमांक के–1420** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1420** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे गैजा सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./359/Act/2022/359 Dated 15-03-2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1420 Sub- Standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त गैजा सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह **मै0** रामगढ़िया फलोर मिल, 775 गली नम्बर 03 करणपुर रोड़, पुरानी आबादी जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **आटा (शाही भोग 1482 चक्की फ्रेश आटा ब्राण्ड)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 24.02.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:– अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा अपनी चक्की पर स्वयं स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखते हुए आटा की पिसाई कनक 1482 खरीद कर उसे साफ सुथरा कर की जाती है और आटा तैयार किया जाता है जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावटी सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता और ना ही ऐसा कोई समान निरीक्षण के दौरान चक्की पर मिला है। जहां तक रिपोर्ट में आटा के सब स्टैण्र्ड बताया गया है उस सम्बन्ध में लेख है कि जो लिसलिसापन बताया गया है वह मौसम पर निर्भर करता है क्योंकि ठण्डे वा बरसात के मौसम में यह होना सम्भव है तथा एलकोहलिक एसीडिटी जो बताई गई है वह कई बार आटा की पिसाई के पश्चात गर्म आटा पैक करने पर भी आ जाती है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। अतः जबाब परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परिवाद परिवादी निरस्त फरमाया जावें आयंदा प्रार्थी उपरोक्त तथ्यों पर भी पूर्ण सावधानी बरतेगा।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **आटा (शाही भोग 1482 चक्की फ्रेश आटा ब्राण्ड)** का सैम्पल **K-1420** जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./359/Act/2022/359 Dated 15-03-2022 द्वारा **Sub- Standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा अपनी चक्की पर स्वयं स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखते हुए आटा की पिसाई कनक 1482 खरीद कर उसे साफ सुथरा कर की जाती है और आटा तैयार किया जाता है जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावटी सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता और ना ही ऐसा कोई समान निरीक्षण के दौरान चक्की पर मिला है। जहां तक रिपोर्ट में आटा के सब स्टैण्र्ड बताया गया है उस सम्बन्ध में लेख है कि जो लिसलिसापन बताया गया है वह मौसम पर निर्भर करता है क्योंकि ठण्डे वा बरसात के मौसम में यह होना सम्भव है तथा एलकोहलिक एसीडिटी जो बताई गई है वह कई बार आटा की पिसाई के पश्चात गर्म आटा पैक करने पर भी आ जाती है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परिवाद परिवादी निरस्त फरमाया जावें आयंदा प्रार्थी उपरोक्त तथ्यों पर भी पूर्ण सावधानी बरतेगा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Atta" bearing Code No and Sr. No. K-1420, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations,** Act-2011 की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त गैजा सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त गैजा सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 5,000–00 (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में गैजा सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर